



एम.ए.सी.प्र.सं.-261/2025
श्रीमती सत्यादेवी व अन्य बनाम ओमप्रकाश व अन्य
सी.एन.आर.नं.-RJAJO80002972025
दिनांक-09.05.2026

राष्ट्रीय लोक अदालत
न्यायालय: मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर (राज.)

पंचाट (AWARD)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा संख्या:-261/2025

प्रार्थी/प्रार्थीगण (Claimantt/s)

प्रतिपक्षी (Respondent/s)

- 1 श्रीमती सत्यादेवी
- 2 सुनीत सिंह
- 3 अमित सिंह
- 4 श्रीमती काजल
- 5 अजीत सिंह

बनाम

- 1 ओमप्रकाश
2. फ्यूचर जनरली इ.कं.लिमि.

समक्ष लोक अदालत

1- श्री महेन्द्र कुमार ढाबी (न्यायाधीश)
अध्यक्ष, लोक अदालत,

2- श्रीमती अर्चना गौतम
सदस्य, लोक अदालत

समझौता दिनांक 09.05.2026

इस प्रकरण दिनांक 09.05.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता वार्ता पक्षकरण के मध्य सम्पन्न हुई। उभयपक्ष ने आपसी सहमति से अधिकरण में समझौता प्रस्तुत किया। समझौता आज दिनांक 09.05.2026 को अधिकरण के द्वारा तस्दीक किया गया है। समझौते को अन्तिमता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीनामा इस लोक अदालत के समक्ष आज प्रस्तुत हुआ है।

समझौते निम्न प्रकार से उभय पक्ष के मध्य हुआ है:-

1. यह कि अप्रार्थी क्रम-2 बीमा कंपनी, प्रार्थी/प्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में रूपये 8,00,000/- (अक्षरे रूपया आठ लाख मात्र) अदा करने हेतु सहमत है प्रार्थी/प्रार्थीगण इस राशि पर अपनी सहमति व्यक्त करता/करते हैं। इस राशि की अदायगी के लिए अप्रार्थी अपना दायित्व स्वीकार करता है।

2- यह कि समझौते की शर्तों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा यह राशि आज पंचाट की दिनांक से 03 माह में अदा की जावेगी अन्यथा पंचाट की दिनांक से राशि अदा करने की दिनांक तक 07 प्रतिशत साधारण ब्याज से प्रार्थीगण प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

पंचाट उक्त प्रकार से निर्मित किया गया।

पंचाट की एक-एक प्रति सभी पक्षों को प्रदान की जावे।

हमारे हस्ताक्षरों से यह पंचाट आज दिनांक 09.05.2026 को जारी किया गया।

(सदस्य)
लोक अदालत

(महेन्द्र कुमार ढाबी)
(अध्यक्ष)
लोक अदालत
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर